परिपत्र संख्या 04/2016

राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.

"कर–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ.7(43)जन/2015/पार्ट–I/12731 दिनांक : 07-09-2016

–: परिपत्र :–

1. लोक कार्यालयों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2016 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–4 (शपथ पत्र), आर्टिकल 5(जी) (सामान्य इकरारनामा) एवं आर्टिकल–58 (वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट) पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

दस्तावेज का नाम	आर्टिकल	स्टाम्प ड्यूटी की पूर्व दर	स्टाम्प ड्यूटी की संशोधित दर (दिनांक 08.03.16 से प्रभावी)
शपथ पत्र	आर्टिकल–4	रूपये 20/–	रूपये 50/–
सामान्य इकरारनामा	आर्टिकल–5(जी)	रूपये 100/–	रूपये 500/–
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट	आर्टिकल–58	i. 10 लाख तक – रूपये 500/– ii. 10 लाख से अधिक 50 लाख तक – रूपये 1000/– iii. 50 लाख से अधिक – रूपये 5000/–	संविदा राशि का 0.25% अधिकतम रूपये 15000/–

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों पर निर्धारित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस अधिनियम की धारा–17 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व या निष्पादन के समय या निष्पादन से अगले कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से किये जाने का प्रावधान है। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किए बिना दस्तावेज निष्पादित करना दण्डनीय अपराध है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37 (3) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु./97 दिनांक 16.12.1997 द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है, जिसमें कम्पनी के रूप में कार्यरत प्राइवेट बिल्डर्स एवं डवलपर्स भी शामिल है।

विभाग के ध्यान में आया है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों एवं उपक्रमों यथा नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर परिषद, नगर विकास न्यास, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, कृषि उपज मण्डियों एवं मण्डी समितियों, रीको, ग्राम पंचायत, उद्योग विभाग, खान विभाग इत्यादि द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित बहुत से दस्तावेज निष्पादित किये जाते है या लोक अधिकारी होने के कारण उनके समक्ष आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होते हैं जिन पर स्टाम्प ड्यूटी देय होती है लेकिन ऐसे दस्तावेजों पर या तो स्टाम्प ड्यूटी ली नहीं जा रही है या कम ली जा रही है, जिससे राजस्व की अत्यधिक अपवंचना हो रही है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37 के अनुसार प्रत्येक लोक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि उनके पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत होता है, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय है लेकिन पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को जब्त कर स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवायेंगे।

इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा–39 में प्रावधान है कि कोई भी लोक अधिकारी अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर ना तो कोई कार्यवाही करेंगे ना ही ऐसे दस्तावेज को सत्यापित करेंगे।

लोक अधिकारियों द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित किया जाता है जो कि पर्याप्त रूप से मुद्रांकित (not duly stamped) नहीं है तो ऐसा कार्य राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 73 के तहत अपराध है और 5000/– रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय है।

अतः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के उक्त प्रावधानों तथा दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के संबंध में लोक अधिकारियों पर आरोपित कर्तव्यों की समुचित पालना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी देय है उन पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं अधिभार की राशि राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों एवं उपक्रमों द्वारा दस्तावेज निष्पादन के समय ही वसूल की जावे और जो दस्तावेज पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और जिन पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया हुआ है, उनको जब्त कर स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवाएं।

अतः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के उक्त प्रावधानों तथा दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के संबंध में लोक अधिकारियों पर आरोपित कर्तव्यों की समुचित पालना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी देय है उन पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं अधिभार की राशि राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, स्थानीय निकायों एवं उपक्रमों द्वारा दस्तावेज निष्पादन के समय ही वसूल की जावे और जो दस्तावेज पदीय कर्तव्यों के निष्पादन में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और जिन पर पर्याप्त स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया हुआ है, उनको जब्त कर स्टाम्प ड्यूटी के निर्धारण एवं वसूली हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को भिजवाएं।

इस संबंध में सभी वृत्त कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित सभी प्रकार के दस्तावेजों का प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की नवीनतम दरों की जानकारी अपने–अपने वृत्त में स्थित सभी राजकीय/केन्द्रीय कार्यालयों, संस्थानों आदि को अविलम्ब उपलब्ध करवायें।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक कार्यालयों/आमजनता को सुविधा के लिये विभिन्न दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रभावी दरों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–1 से 58 के अधीन निष्पादित होने वाले सभी प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रभावी दरों को अद्यतन रूप से विभाग की वेबसाईट http:/igrs.rajasthan.gov.in के Home Page पर Fees Master में दर्शाया गया है। कोई भी राजकीय विभाग/संस्थान/बैंक/व्यक्ति विभाग के वेबसाईट पर जाकर किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–85 के तहत आपको प्रदत्त की गई निरीक्षण की शक्तियों के तहत अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न लोक कार्यालयों, बैंकों, संस्थानों के रिकॉर्ड की जॉच करें कि उनके स्तर पर शपथ पत्र एवं सामान्य इकरारनामा पर स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना तो नहीं की जा रही है। स्टाम्प डयूटी की अपवंचना पाये जाने पर नियमानुसार कमी स्टाम्प ड्यूटी की वसूली मय ब्याज एवं शास्ति के वसूल करने की कार्यवाही अमल में लायी जायें।

2. स्टाम्प वेण्डर्स द्वारा निर्धारित दर से कम राशि के स्टाम्प विक्रय किये जाने एवं निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने के मामलों में कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश

सभी उप पंजीयकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्टाम्प वेण्डरों के विक्रय रजिस्टर्स की नियमित रूप से जॉच कर यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा शपथ पत्र एवं सामान्य इकरारनामा एवं अन्य ऐसे दस्तावेजों पर निर्धारित दर से कम राशि के स्टाम्प तो विक्रय नहीं किये जा रहे है। सभी उप महानिरीक्षकों एवं उप पंजीयक भी उपने वृत में कार्यरत स्टाम्प वेण्डरो को अपने स्तर से निर्देश जारी करे कि वे निर्धारित दर से कम राशि के स्टाम्पों का विकय नहीं करे। विभाग में इस प्रकार की शिकायते भी प्राप्त हुई है कि कतिपय स्टाम्प वेण्डर्स द्वारा स्टाम्प की निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल की जा रही है। अतः भविष्य में उक्त सभी मामलें ध्यान में आने पर संबंधित स्टाम्प वेण्डर के अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायें।

3. स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की दरों को कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करने के संबंध में निर्देश

सभी वृत्त कार्यालयों एवं उप पंजीयकों को यह निर्देश भी दिये जाते है कि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की दरों को आमजनता की सुविधा के लिये अपने–अपने कार्यालयों के बाहर नोटिस बोर्ड पर सहजदृश्य स्थान पर स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित किया जायें। स्टाम्प डयूटी की दरों में समय–समय पर संशोधन होने पर इन्हें नियमित रूप से अद्यतन भी किया जायें।

4. स्टाम्प ड्यूटी भुगतान के प्रकार

दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान भौतिक स्टाम्प पत्रों, ई–स्टाम्प, फ्रेंकिंग, बैंक ड्राफ्ट, पे–आर्डर या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के निम्नलिखित आय मद में ई–ग्रास चालान के द्वारा किया जा सकता है :–

0030	–	स्टाम्प और पंजीकरण
02	–	स्टाम्प न्यायिकेत्तर (Non Judicial)
103	–	दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना
(01)	–	दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना
800	–	अन्य प्राप्तियां
02	–	स्टाम्प शुल्क पर अधिभार
03	–	स्टाम्प शुल्क पर गो संवर्द्धन/संरक्षण हेतु अधिभार

राजस्व हित में उपरोक्त प्रावधानों की तत्काल प्रभाव से पालना सुनिश्चित करने के लिए अपने अधीनस्थ सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित करें कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की वेबसाईट **http://igrs.rajasthan.gov.in** से फीस मास्टर डाउनलोड कर उसकी एक प्रति सदैव अपने कार्यालय में रखें एवं इस आदेश की अनुपालना में यदि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भूल या लापरवाही की जाती है तो संबंधित विभागीय नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

07-09-2016

(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : एफ.7(43)जन/2015/पार्ट–I/12732-13617 दिनांक : 07-09-2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
7. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/बीकानेर।
8. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
9. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास निगम (रीको), जयपुर।
12. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।

14. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
15. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास/नगर परिषद, राजस्थान।
16. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर पालिका, राजस्थान।
17. कन्वीनर, स्टेट लेवल बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा भवन, एयरपोर्ट प्लाजा, होटल रेडीशन ब्लू के पीछे, दुर्गापुरा, जयपुर।
18. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
19. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक, राजस्थान।
20. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट **igrs.rajasthan.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
21. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
22. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान।
23. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
24. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
25. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
26. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन),
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर